न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 45 / 2013 जिला सीकर ।

इकबाल खान पुत्र स्व. श्री अल्लादीन खान, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम किरडोली, तहसील धोद, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शकीला पुत्री अल्लादीन खान, पत्नी फारूख खान, जाति मुसलामान, निवासी ग्राम बलोद भंकारा, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट

2. अब्बास पुत्र अल्लादीन खान
3. इलियास पुत्र अल्लादीन खान
4. गफार खान पुत्र अल्लादीन खान
   जाति मुसलमान, नवासी ग्राम किरडोली, तहसील धोद, जिला सीकर ।
5. मु. शमीम पुत्री अल्लादीन खान पत्नी अयूब खान, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम बलारा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
6. मु. अमरीन पुत्री अल्लादीन खान पत्नी अबरार खान, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम किरडोली, तहसील धोद, जिला सीकर ।
7. ग्राम पंचायत किरडोली जरिये सरपंच, तहसील धोद, जिला सीकर ।

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार धोद, जिला सीकर दिनांक 7.8.2013

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हेमन्त सौगानी एवं श्री रघुवीर सिंह राठौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 श्री एस.एल.कुमावत
3. वकील प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 एवं 4 श्री दीनानाथ शर्मा

निर्णय

दिनांक– 16.10.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 7.8.2013 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम किरडोली, तहसील धोद, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 354 रकबा 3.08 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्से, खसरा नम्बर 435 रकबा 4.31 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्से का खातेदार अलादीन पुत्र यासीन खां था । खातेदार अलादीन के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 704 ग्राम पंचायत किरडोली द्वारा दिनांक 5.6.2006 को अब्बास खान, इलियास खान, गफ़ार खान, इकबाल खान पुत्रान अलादीन के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण के व्यथित होकर मृतक खातेदार अलादीन की पुत्री शकीला द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 4.1.2013 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 704 दिनांक 5.6.2006 निरस्त किया गया एवं प्रकरण अल्लादीन खान के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 4.1.2013 की अनुपालना में तहसीलदार धोद, जिला सीकर ने मृतक खातेदार अल्लादीन खान की भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 3.08, खसरा नम्बर 435 रकबा 4.31 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/3 उनके जायन्दा पुत्र अब्बास खान, इलियास खान, गफार खान, इकबाल खान व पुत्रियां शकीला, शमीम, अमरीन हिस्सा 1/3 में से प्रत्येक का 1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 7.8.2013 पारित किये गये ।

तहसीलदार धोद, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 7.8.2013 के खिलाफ मृतक खातेदार अलादीन खान के पुत्र इकबाल खान द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार धोद, जिला सीकर दिनांक 7.8.2013 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार अल्लादीन की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्ग्रम पंचायत द्वारा मृतक के पुत्रान अपीलान्ट एवं प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम तस्दीक कर दिया था ओर उनका नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हो गया था तथा वे भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 शकीला द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष अपील मियाद बाहर पेश की थी तथा अपीलान्ट को उप खण्ड अधिकारी द्वारा कोई नोटिस तामिल कराये बिना एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश दिनांक 4.1.2013 पारित कर नामांतरकरण संख्या 704 दिनांक 5.6.2006 निरस्त कर प्रकरण अल्लादीन के विधिक वारिसान की जॅाच कर नियमानुसार नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड कर दिया । उप खण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय में विलम्ब के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किये बिना गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । उप खण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 4.1.13 में तहसीलदार को अल्लादीन के विधिक वारिसान की जॅाच कर नियमानुसार नामांतरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करने के आदेश दिये थे, लेकिन तहसीलदार ने अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि श्रीमती शकीला मृतक खातेदार अल्लादीन खान की वैवाहिक पुत्री है जिसे अल्लादीन के पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते , लेकिन फिर भी तहसीलदार द्वारा अल्लादीन के चारों पुत्रों एवं तीनों पत्रियों के नाम 1/7–1/7 हिस्से का नामांतरकरण तस्दीक करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है ,जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट तथा प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 का विवाग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की जॅाच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडन्ट के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार अल्लादीन खान था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण मृतक अल्लादीन के पुत्र – पुत्रियों के नाम तस्दीक होना चाहिये था ,

लेकिन ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 704 दिनांक 5.6.2006 को केवल पुत्रान अपीलान्ट एवं प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम तस्दीक कर दिया, जो विधि विरूद्ध है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील उप खण्ड अधिकारी ने निर्णय दिनांक 4.1.2013 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार सीकर को अल्लादीन खान के विधिक वारिसान की जॅाच कर नियमानुसार नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु रिमाण्ड किया था एवं उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार धोद द्वारा मृतक के विधिक वारिस उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के नाम समान हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार अल्लादीन खान की विरासत के नामांतरकरण का है । अल्लादीन खान के फौत होने पर ग्रम पंचायत द्वारा विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 704 दिनांक 5.6.2006 को मृतक के पुत्रान अपीलान्ट एवं प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम तस्दीक किया था । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 एवं 6 मृतक खातेदार अल्लादीन की पुत्रियॅा होने के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण को उप खण्ड अधिकारी सीकर के न्यायालय में चुनौती दी गई जिस पर उप खण्ड अधिकारी सीकर ने निर्णय दिनांक 4.1.2013 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 704 दिनांक 5.6.2006 निरस्त किया गया एवं प्रकरण अल्लादीन खान के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड किया गया एवं उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार धोद ने मृतक खातेदार अल्लादीन खान की भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 3.08, खसरा नम्बर 435 रकबा 4.31 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/3 उनके जायन्दा पुत्र अब्बास खान, इलियास खान, गफार खान, इकबाल खान व पुत्रियां शकीला, शमीम, अमरीन हिस्सा 1/3 में से प्रत्येक का 1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 7.8.2013 पारित किये गये ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में विवादित भूमि के मृतक खातेदार अल्लादीन की विरासत तहसीलदार धोद जिला सीकर ने अपीलधीन आदेश दिनांक 7.8.2013 द्वारा मृतक खातेदार अल्लादीन के सभी जायन्दा पुत्रों एवं पुत्रियों यथा– अब्बास खान, इलियास खान, गफार खान, इकबाल खान व पुत्रियॅा शकीला, शमीम, अमरीन हिस्सा 1/3 में से प्रत्येक का 1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं । जहॅा तक अपीलान्ट के अधिवक्ता की आपत्ति कि उन्हे उप खण्ड अधिकारी द्वारा कोई नोटिस तामिल कराये बिना एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश दिनांक 4.1.2013 पारित किया है तथा उप खण्ड अधिकारी के उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार ने भी अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, इस संबंध में उप खण्ड अधिकारी सीकर ने उनके समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 1,3,5,6 अब्बास, गफार खान, शमीम, अमरीन जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने एवं वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर निर्णय किये जाने का उल्लेख निर्णय दिनांक 4.1.13 में अंकित है तथा तहसीलदार धोद के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 अब्बास के हाजिर होने एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 6 बावजूद नोटिस तामिल गैर हाजिर होने के कारण उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक दिनांक 7.8.2013 पारित किये हैं । हम समझते हैं कि मृतक खातेदार अल्लादीन के पुत्र

एवं पुत्रियॉ प्राकृतिक वारिस है एवं अपने पिता की भूमि में हिस्सा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार धोद दिनांक 7.8.2013 उचित एवं विधिसम्यक है तथा इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक कारण प्रतीत नहीं होता तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 16.10.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर